

कार्यालय ग्राम पंचायत - कांडा बाजाप
विकासखण्ड, लालावडे, जिला लोटद

क्रमांक / ओएफसी / चन / अनुमोदन / 2016-17 / ०२

दिनांक : १०/०५/२०१६


४ जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेरार्स रिलायंस जिओ इफोकॉम लिमिटेड द्वारा ४ जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने
हेतु चन परिषेक से

तक कुल कि.मी. मार्ग रामाचान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु चन भूमि
के अधिकारी के लिए चावा प्रारूप प्रकरण की स्थल मिरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के
नुस्ख प्रभावित नहीं होगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम
पंचायत को किसी भी प्रकार की शक्ति होगी।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई
आपत्ति नहीं है। अतः चनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल में ४ जी टेलीकॉम सर्विस
हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

उपरिथित सदस्यों के हस्ताक्षर -


सचिव
ग्राम पंचायत चाहू, लालावडे
ज़िला लोटद, उत्तर प्रदेश


ग्राम पंचायत चाहू, लालावडे
ज़िला लोटद, उत्तर प्रदेश

कार्यालय
ग्राम पंचायत महुपालबरई
 जनपद पंचायत बस्तर, जिला बस्तर (छ.ग.)
 क्रमांक ग्राम सभा दिनांक २५/०७/२०१६ तक दिनांक

प्रदर्श—"ब"

का कार्यवाही विवरण

ग्राम: **महुपालबरई**

स्थान: दिनांक

आज दिनांक २५/०७/२०१६ को ग्राम **महुपालबरई** के सरपंच श्री/श्रीमती **लला बद्देल** की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के

सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम में आवेदक ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु हे. वन भूमि हे. राजस्व वन भूमि, कुल हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यगवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, मैं कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रज्ञानी वन भूमि पर कृपि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रक्का (हे.मे)
	महुपालबरई		

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि हे. वन भूमि / हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स (आवेदक) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


हरकिशन सिंह
ग्राम पंचायत महुपालबरई
जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)

Harkishan Singh
 हस्ताक्षर श्रीमती लता बद्देल
 नाम ग्राम पंचायत महुपालबरई^१
 जनपद पंचायत बस्तर
 सरपंच
 सील

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर / अगुंठा निशान

कार्यालय ग्राम पंचायत - बालेंगा
 विकासखण्ड वर्ष १२ जिला बलौर
 क्रमांक ०१ प्रति , रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. रायपुर (छ. ग.)
 तिनांक - २५.०४.१६

विषय :- आप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बालेंगा के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र क.) में रिलायंस जियो इन्फोकाम द्वारा एन. एच. ३० के किनारे से ४ जी टेलीकाम सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरिक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो परिसर वन क्षेत्र में है। यह कि उक्त वन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत बालेंगा को कोई अपत्ति नहीं है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत उक्त स्थल में ४^{जी} टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सदस्य
३ जामीनी

श्रीम. (बरमीबंह)

कार्यालय
सरपंच
ग्राम पंचायत बालेंगा
जनपद पंचायत बस्तर

पुदसन
पर्वत
जोटा
लोटा
जालिना शुक्रिया

समिति
चाहू पंचायत बालेंगा

नरसिंह

छोटानी

पुरुषपेत
बालेंगा

कार्यालय ग्राम पंचायत -५४७

विकासखण्ड कलारी

जिला काशी

ठानांक/ओफसी/वन/अनुमोदन/2016-17


दिनांक: 25/8/2016

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक नेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने
हेतु वन परिषेत्र से कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल विछाने हेतु वन भूमि
तक कुल कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल विछाने हेतु वन भूमि
के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के
वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम
पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी।

आप्टिकल फायबर केबल विछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई
आपत्ति नहीं है। अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस
हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

उपरित दस्त्याँ के हस्ताक्षर -


संघ

ग्राम पंचायत अधिकारी
जनपद पंचायत-वरस्तर

सरपंच
ग्राम पंचायत चाहू
जनपद पंचायत-वरस्तर

५४७ का २०/८/१६


कार्यालय ग्राम पंचायत -
विकासखण्ड जिला आसना
भगदुरुज बरलू
ठानांक/ओएफसी/वन/अनुमोदन/2016-17 दिनांक : २६/१६

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मैसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने
हेतु वन परिषेत्र ग्राम-मेहलाडा से ग्राम-उत्तरा
तक कुल 0.2 कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल विछाने हेतु वन भूमि
के अधिकारी के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के
वृक्ष प्रनापित नहीं होगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम
पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी।

आप्टिकल फायबर केबल विछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई^{अपर्चि} नहीं है। अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस
हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -


सचिव
ग्राम पंचायत सचिव
वे.सं. जाऊलपुर (छग)
ग्राम पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायत -परचनपाल.....
विकासखण्ड.....लक्ष्मीरु..... जिलालक्ष्मीरु.....

क्रमांक/ओएफसी/वन/अनुमोदन/2016-17

दिनांक : ०२/०७/२०१६

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने
हेतु वन परिक्षेत्र से
तक कुल कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल विछाने हेतु वन भूमि
के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के
वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम
पंचायत को किसी भी प्रकार की व्यवस्था होगी।

आप्टिकल फायबर केबल विछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई
आपत्ति नहीं है। अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस
हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

Keshav
ग्राम पंचायत परचनपाल
ग्राम पंचायत चाहत लक्ष्मीरु

Mukesh
जनपद पंचायत बरतर
ग्राम पंचायत परचनपाल

५ अक्टूबर २०१६ - ४४
संस्कृत विभाग, उत्तराखण्ड

श्रद्धालु श्राम पंचायत उत्तराखण्ड

कार्यालय श्राम पंचायत — सोनारपाल, विकासखण्ड बस्तर
ज़िला बस्तर

प्रति, रिलायंस जियो इनफोकमा। श्री. रायपुर (छ. ग.)

विषय :— ऑप्टिकल फाइबर बिल्डिंग के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि श्राम पंचायत सोनारपाल के अंतर्गत स्थित बन क्षेत्र (परिक्षेत्र क.....) में रिलायंस जियो हन्फेल्स हाई एच ३० के फिल्सर से ४ जी हेलीकाम रोड हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिल्डिंग के अधिकारी के लिए यहां प्राप्त प्रबन्ध की रक्षण निरिक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत शास्त्रीयों के द्वारा किया गया जो परिसर का क्षेत्र में है। यह कि उक्त बन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइबर के लिए बिल्डिंग से श्राम पंचायत सोनारपाल को कोई अण्ठा नहीं है।

अतः बन रामस्य अधिनियम १९८० के तहत उक्त स्थान में ५^{वीं} हेलीकाम रोड के लिए ऑप्टिकल फाइबर लेन्स बिल्डिंग का यत्नाव श्राम पंचायत सोनारपाल नाम सुनिश्चित किया जाता है।

उम्मीद है कि आपको इस बिल्डिंग के लिए अपनी सुविधा हो।

सदस्य हन्फेल्स /

मुख्यमन्त्री

हेलीकाम
श्राम पंचायत
सोनारपाल

मुख्यमन्त्री अधिनियम की सुविधा
के लिए अपनी सुविधा
प्रदान करने की अपील
को अपनी सुविधा के लिए अपनी सुविधा

मुख्यमन्त्री

हेलीकाम

श्राम पंचायत

मुख्यमन्त्री

हेलीकाम

श्राम पंचायत

हेलीकाम

श्राम पंचायत

कार्यालय ग्राम पंचायत - कर्नला

विकासखण्ड जिला कर्नला

प्रति , रिलायंस जियो इन्फोकाम लि. रायपुर (छ. ग.)

७०- २५/०५/१६

विषय :- आप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के संबंध में

अनुमोदित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र (परिक्षेत्र क. जियो इन्फोकाम द्वारा एन. एच. ३० के किनारे से ४ जी टेलीकाम सेवा हेतु ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरिक्षण को परिसर रक्षक एवं पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया जो परिसर वन क्षेत्र में है। यह कि उक्त वन क्षेत्र में निरिक्षण उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्य से किसी भी प्रकार के वृक्ष व पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने से ग्राम पंचायत कर्नला (भानपुरी) को कोई अपत्ति नहीं है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत उक्त स्थल में ४ जी टेलीकाम सेवा के लिए ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत कर्नला (भानपुरी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

सदस्य

कर्नला बिहु फूल - फैसला

प्रेसवर्ती दस्तावेज
ग्राम पंचायत बरसर (छ.ग.)

सुबीर तिष्ठी

जयराम नीराकुर

लालेश्वर

जयराम नीराकुर
ग्राम पंचायत बरसर (छ.ग.)

आसनी नायतवाल
प्रफुल्ल नंद

अनंत

नीराकुर
२५/०५/१६

कुणी द्वारा

कुमारी

द्वारा द्वारा
कुरनी द्वारा



कार्यालय ग्राम पंचायत -
विकासखण्ड जिला नं ११७
क्रमांक / ओएफसी / वन / अनुमोदन / २०१६-१७ दिनांक : ०१/११/२०१६

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने
हेतु वन परिक्षेत्र _____ से _____

तक कुल _____ कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल विछाने हेतु वन भूमि
के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के
वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम
पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी।

आप्टिकल फायबर केबल विछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई^{अपेक्षा} आपत्ति नहीं है। अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस
हेतु आप्टिकल फायबर केबल विछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

.....
संकुल कृष्ण
सरपंच
ग्राम पंचायत प्राम पंचायत सारागंव
जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)



क्रमांक / ओएफसी / वन / अनुमोदन / 2016-17

दिनांक : ०६/०५/२०१६

4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछान हेतु ग्राम पंचायत का अनुमोदन

आवेदक मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड द्वारा 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु वन परिक्षेत्र से

तक कुल कि.मी. मार्ग समानान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप प्रकरण की स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे ना ही किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान होगा और ना ही इसमें ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की क्षति होगी ।

आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य से ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । अतः वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उक्त स्थल में 4 जी टेलीकॉम सर्विस हेतु आप्टिकल फायबर केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर –

सर्वजीत
ग्राम पंचायत भानपुरी
जनपद पंचायत बस्तर

कौशिल्याधीप
सरपंच
ग्राम पंचायत भानपुरी
जनपद पंचायत बस्तर

जिले की कुल वन भूमि

बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर वनगण्डल, जगदलपुर का कुल वन भूमि निम्नानुसार है।

(1)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4029.980 वर्ग कि.मी.
(2)	जिले का वनक्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
	आरक्षित वन	1083.761 वर्ग कि.मी.
	संरक्षित वन	661.326 वर्ग कि.मी.
	असीमांकित वन	466.720 वर्ग कि.मी.
	योग –	2211.807 वर्ग कि.मी.


(राजु अगसिमनि)

(मा.व.से.)
वनगण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में
प्रभावित हुई वन भूमि रक्खा हेक्टेयर में

बस्तर वनभूमि जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत प्रकरणों में निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हुआ है।

क्रमांक	आवेदित विभाग	परियोजना का नाम	वन भूमि रक्खा (हेक्टेयर में)	भारत सरकार का स्वीकृति आदेश का
1	सिंचाइ विभाग	मोण्ड जलाशय	0.630	क.8-493/84/एफ.सी दिनांक 27.05.89
2	सिंचाइ विभाग	पीठापुर जलाशय	7.860	क.8-374/84/एफ.सी दिनांक 15.05.94
3	सिंचाइ विभाग	राशापुर जलाशय	19.448	क.8-327/84/एफ.सी दिनांक 13.07.89
4	रक्षा विभाग भारत सरकार	रक्षा अनुसंधान एवं पिकास	132.598	क.8-11/95/एफ.सी दिनांक 24.08.99
5	जल संसाधन संभाग	कोसारटडा गम्यग सिंचाइ परियोजना	595.630	क.8-203/88/एफ.सी दिनांक 24.08.98
6	प्रभागीय बोर्ड उड़ियापाल इरपा डिलमिली	गिट्टी उत्खनन	2.400	क.6-493/84/सी.एच.सी./032/05-बी.एच.ओ./1977 क.6-493/84/सी.एच.सी./031/05-बी.एच.ओ./1972 दिनांक 29.09.05 दिनांक 29.09.05 एवं क.6-सी.एच.सी./028/05-बी.एच.ओ./1975 दिनांक 29.09.05
7	बीआरओ	सलक चौलीकरण	37.031	क.8-143/03/एफ.सी दिनांक 27.02.04
8	भारतीय मानव विज्ञान	सदैक्षण सांग्रहालय निर्माण	0.789	क.6-सी.एच.बी./048/07-बी.एच.ओ./2588 दिनांक 20.10.09
9	एन.एम.डी.सी.	खेल लाइन निर्माण	10.763	क.6-सी.एच.बी./035/06-बी.एच.ओ./876 दिनांक 17.05.10
10	गोरक्ष Chhattisgarh Energy Consortium (India) Pvt.Ltd. Raipur	24.75 मेगावॉट माडेर-1 जल विद्युत परियोजना	19.718	क.6-सी.एच.री./015/2009-बी.एच.ओ./2935 दि. 21.04.2011
11	परियोजना प्रबंधक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनगर	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट निर्माण हेतु (अंतर्मुक्ति 1,800 एवं 1,900 में से 23,920)	25.720	क्रमांक/6-CHC/012/2010-BHO/3034 दिनांक 06.05.11

12	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	पुलिस चौकी निर्माण हेतु (राजव बनगृह)	0.900	कमांक / 6 CHB 062/2007-BHO/257 दिनांक 03.02. 2011
13	कार्यपालन यंत्री अतिच्छ्व दाब (निर्माण एवं संधारण) संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल रायपुर	विद्युत लाईन निर्माण हेतु	4.712	क्र./ 6-CHC/ 003/ 2010-BHO/ 3066 दि. 12.05.2011
14	निदेशक एस.आई.बी. (एम.एच.ए.) जी.ओ.आई., रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु (राजव बनगृह)	0.232	छ.ग. शारान बन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र./एफ-5-4/2012/10-2 दि. 10.03.2014
15	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	कक्ष कमांक 1402पी में पुलिस चौकी निर्माण हेतु (ग्राम घोटिया)	1.000	छ.ग. शासन बन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र./एफ-5-4/2014/10-2 दि. 10.04.2015
		योग :-	859.431	


 (राजु अगसिमनि)
 (मा.व.से.)
 बनमण्डलाधिकारी
 बनमण्डल बस्तर जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की
कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि हैं, में

बस्तर वनमंडल जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी केटेगरी के निम्न प्रकरण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृति नहीं दी गई है:-

A
(राजु अग्रिमनि)
भा.व.से.

वन मंडलाधिकारी
बस्तर वनमंडल, जगदलपुर

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, बन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी

(छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, बन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं आता है।

राजु अगसिमनि
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर